झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

राज्य के नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 42/2014

एतद् द्वारा परिषद् की विज्ञप्ति संख्या–93/2011 के आलोक में राज्य के नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दिनांक 29.08.2012 को आयोजित परीक्षा में शामिल ऐसे जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों, जिनकी परीक्षा परिषद् विज्ञप्ति संख्या–73/2012 के द्वारा रद्द कर दी गई थी तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति संख्या–02/2010 एवं 05/2010 के आलोक में आवेदन करनेवाले एवं जैक की विज्ञप्ति संख्या 49/2013 एवं 08/2014 के आलोक में शपथ–पत्र जमा करने वाले तथा अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नव उत्क्रमित विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जिव विज्ञान की पुनर्परीक्षा एवं विशेष लिखित परीक्षा का आयोजन निम्नवत् किया जाएगा:

(1) **परीक्षा की तिथि** – **28.08.2014 (गुरूवार)**

(2) **परीक्षा की अवधि** –

प्रथम पत्र (वस्तुनिष्ठ) – पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक

द्वितीय पत्र (विषयनिष्ठ) – अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक

(3) **परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थी का रिर्पोटिंग समय-**

पूर्वा. 9.00 बजे (दोनों पालियों में शामिल होनेवाले अभ्यर्थियों के लिए)

अप. 1.00 बजे (मात्र पुनर्परीक्षा में शामिल होनेवाले अभ्यर्थियों के लिए)

(4) परीक्षा हॉल में प्रथम पाली हेतु 9.45 बजे पूर्वा. एवं द्वितीय पाली हेतु 1.45 अपराह्न के बाद प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

(5) प्रवेश पत्र परिषद् के **Website www.jac.nic.in** पर दिनांक **13.08.2014** के अप. 5.00 बजे से डाउनलोड किया जा सकेगा। किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।

(6) परिषद् की विज्ञप्ति संख्या 73/2012 द्वारा रद्द की गई जीव विज्ञान की पुनर्परीक्षा में शामिल होनेवाले अभ्यर्थी को भी पूर्व में आवंटित क्रमांक के आधार पर परिषद् के यथोक्त बेवसाइट से नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करना अनिवार्य होगा एवं परीक्षा में उन्हें नव आवंटित क्रमांक ही अंकित करना होगा।

(7) प्रमाण पत्रादि एवं अन्य अभिलेखों का सत्यापन परीक्षा के उपरांत किया जायेगा एवं जाँचोपरांत सही पाये जाने की स्थित में ही अभ्यर्थित्व मान्य होगा।

(8) कतिपय अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व अर्हता पूरी नहीं करने के कारण रद्द किया गया है, वे भी परीषद् के यथोक्त बेवसाइट पर अभ्यर्थित्व रद्द होने के कारण से अवगत हो सकेंगे।

(9) किसी प्रकार की असुविधा की स्थिति में परिषद् के टॉल फ्री दूरभाष संख्या– 18003456523 एवं दूरभाष संख्या 0651–6453345 पर कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(मोहन चाँद मुकिम)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/उ.मा.वि./JPSC/शि.नि./19414/12-SECY/383/14, Dt. 06.08.14
D.O.P : 07.08.14